बिहार सरकार

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना।
वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।

पत्रांक–04/STA-P-208/2019, परि0– 973 /पटना,दिनांक–31/1/2020

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार–झारखण्ड राज्य के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिटों की स्वीकृति हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक दिनांक–01.03.2019 को आयोजित की गयी थी, जिसमें मद संख्या–(क–46) में संबंधित मार्ग जमुई से बोकारों के ठहराव स्थल इंदी या टुंडी का झारखण्ड प्राधिकार से सत्यापन कराने के पश्चात राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा परमिट का निर्गमन किये जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–6287, दिनांक–08.08.2019 द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड से उक्त ठहराव स्थल के सत्यापन हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त अनुरोध के आलोक में झारखण्ड प्राधिकार द्वारा जमुई से बोकारों मार्ग के ठहराव स्थल इंदी के स्थान पर टुंडी का सत्यापन किया गया है।

उक्त स्थल के सत्यापन के उपरान्त राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा मद संख्या–(क–46) में आवेदित कुल–04(चार) निम्न आवेदकों के पक्ष में परमिट निर्गमन करने का निर्णय लिया गया है :–

क्र0सं0	आवेदकों का नाम	वाहन संख्या
1	श्री अशोक कुमार साह	BR-46P-7765
2	श्री मुन्नीलाल साव	BR-53P-7765
3	श्री लालजी कुमार सिंह	BR-46B-5081
4	श्रीमती रेणू देवी	BR-46C-6981

अतः उक्त आवेदकों से अनुरोध है कि उक्त वाहनों के पक्ष में परमिट के निर्गमन हेतु उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर परिवहन विभाग के सिंगल विन्डो (एकल खिड़की) काउन्टर पर निश्चित रूप से आवश्यक वांछित शुल्क(O-GRASS के माध्यम से) सहित वाहन के सभी अद्यतन कागजात (बीमा प्रमाण पत्र, दुरूस्ती प्रमाण पत्र एवं कर–प्रतीक), वाहन के स्पेयर होने संबंधी शपथ पत्र, लेबर प्रमाण पत्र, मोटरयान निरीक्षक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, PAN कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति एवं चालक/कंडक्टर अनुज्ञप्ति समर्पित करें अन्यथा निर्धारित तिथि एवं समय तक सभी वांछित कागजात एवं शुल्क समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में स्वीकृत परमिट स्वतः रद्द माना जायेगा।

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।